

926

राज्य, न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल खालियर, केम्प सागर (म.प्र.)

### पुनरीक्षणक्र.



तिग - १७५३३ I-16

1. बलराम पिता रामेश्वर कुर्मी  
साकिन नवोदय वार्ड हटा, तहसील हटा, जिला दमोह
2. रुपनारायण पिता शारदा प्रसाद कुर्मी  
निवासी ग्राम रमपुरा, तहसील हटा, जिला दमोह

... पुनरीक्षणकर्ता

//बनाम//

1. साधना पति सुभाष चंद सराफ  
साकिन हजारी वार्ड हटा, तहसील हटा, जिला दमोह
2. कंदीलाल पिता गोरेलाल साहू  
साकिन नवोदय वार्ड हटा, तहसील हटा, जिला दमोह

... उत्तरावादीगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-रा.सं. 1959 के तहत।

पुनरीक्षण खिलाफ - न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय हटा  
तहसील हटा, जिला दमोह के रा.प्र.क्र. 3अ/12, वर्ष 2015-16 में  
पारित आदेश दिनांक 18.3.2016 के विरुद्ध।

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से निम्न निवेदन प्रस्तुत है:-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उत्तरावादीक्र. 1 साधना पति सुभाष चंद सराफ द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय हटा के समक्ष एक आवेदन पत्र मौजा हटा खास, प.ह.नं. 32 स्थित भूमि ख.नं. 147/8 रकवा 0.412 हे. को अपने स्वामित्व आधिपत्य की भूमि होना अभिलिखित करते हुए सीमांकन बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन

32

22/04/16

— 2 —

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—1743—एक / 2016

जिला—दमोह

बलराम व अन्य विरुद्ध साधना व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमानकों के हस्ताक्षर
07-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।</p> <p>3. यह निगरानी तहसीलदार हटा, जिला— दमोह के प्रकरण क्रमांक 3/अ—12/2015—16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 18—03—2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 06—05—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p> 	(आम.के.जी.न.) सदस्य 10413/19